RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शनिवार 30 नवंबर 2024 वर्ष 06 अंक 231 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेडे की याचिका पर मुंबई पुलिस से जाति उत्पीड़न मामले की जांच का ब्योरा मांगा

Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

अमित शाह के साथ बैठक में महाराष्ट्र के सीएम का नाम फाइनल

एकनाथ शिंदे ने भाजपा नेतृत्व पर छोड़ा सीएम पद पर फैसला।

किसे मिलेगा गृह और वित्त मंत्रालय

भाजपा के पास गृह और एनसीपी के पास रहेगा वित्त विभाग।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में विभागों के बंटवारे पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके तहत तीनों घटक दलों में बड़े विभागों में कोई फेरबदल नहीं होगा। पहले की तरह गृह विभाग भाजपा के पास, वित्त विभाग एनसीपी के पास और शहरी विकास विभाग शिवसेना के पास रहेगा।

दो दिसंबर को हो सकता शपथ ग्रहण समारोह...

बैठक में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के मुद्दे पर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। सबकुछ ठीक रहा तो दो दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ध्यान देने की बात है कि एकनाथ शिंदे ने दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री की दावेदारी छोड़ते हुए इसे तय करने की जिम्मेदारी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दी थी। शिंदे ने साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह जिसे भी मुख्यमंत्री तय करेंगे उन्हें मंजूर होगा। शिवसेना के कई नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। वहीं पिछली बार रणनीतिक कारणों से उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार करने वाले देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद बढ़ गई। बैठक में अमित शाह ने तीनों नेताओं को आगे भी इसी तरह से सामंजस्य के साथ काम करने को कहा ताकि विधानसभा में मिले अपार जनसमर्थन को बनाए रखा जा सके। अगले एक साल में 27 महानगर पालिकाओं के साथ कई जिला परिषदों के भी चुनाव होने है। जिन्हें महायुति एक साथ मिलकर लड़ेगी।

भेजा जाएगा पर्यवेक्षक...

शनिवार और रविवार को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पुलिस महानिदेशकों की बैठक में भुवनेश्वर में रहेंगे। उनके आने के बाद सोमवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा विधायक दल की बैठक के लिए वरिष्ठ नेता को पर्यवेक्षक बनाकर भेजेंगे, जहां औपचारिक रूप से विधायक दल के नेता का चुनाव होगा।

गलत इलाज के कारण 5 साल के बच्चे की मौत, 6 डॉक्टरों पर मामला दर्ज

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक निजी अस्पताल के छह डॉक्टरों के खिलाफ एक बच्चे के पिता को गुमराह करने का मामला दर्ज किया गया है, जिसकी मौत उनके इलाज के दौरान हुई थी, पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि आरोपी डॉक्टरों ने कथित तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की। पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, 26 अप्रैल को शहर के सुतगिरनी इलाके में स्थित वेदांत अस्पताल में 5 वर्षीय बच्चे को भर्ती कराया गया था। उसी दिन अस्पताल में लड़के की सर्जरी की गई थी।लगभग 10 दिनों तक इलाज के बाद 6 मई को बच्चे की मौत हो गई।बच्चे के पिता अविनाश अघव ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में गलत इलाज के कारण उनके बेटे की मौत हुई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने यह भी दावा किया कि सबूत नष्ट कर दिए गए और इलाज से संबंधित कागजात उन्हें नहीं दिए गए।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने अस्पताल पर 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक परिसर के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है।विज्ञप्ति में कहा गया है कि डॉक्टरों - अर्जुन पवार, शेख इलियास, अजय काले, अभिजीत देशमुख, तुषार चव्हाण और नितिन अधाने - पर बुधवार को भारतीय दंड संहिता के तहत लापरवाही से मौत और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया गया।

एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 70 लाख रुपये की एमडी ड्रग्स जब्त की...

मुंबई: मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) की वर्ली इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹70 लाख की कीमत की एमडी ड्रग्स जब्त की और अग्रीपाड़ा इलाके से एक नाइजीरियाई महिला को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब ANC की टीम मुंबई शहर में ड्रग डीलरों, आपूर्तिकताओं और पेडलर्स के खिलाफ अपने अभियान के तहत इलाके में गश्त कर रही थी। ANC अधिकारियों के अनुसार, टीम को अग्रीपाड़ा इलाके में घूम रही एक महिला पर शक था।

भांडुप में भी बदलापुर जैसी घटना !

स्कूल में तीन नाबालिगों से दुर्व्यवहार... अश्लील संकेत, लिफ्ट मैकेनिक गिरफ्तार

मुंबईः कुछ महीने पहले बदलापुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में स्कूल के सफाई कर्मचारी ने दो लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था. इसके बाद पूरे राज्य में गुस्से की लहर दौड़ गई. इस मामले के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया गया. इसके बाद माना जा रहा था कि राज्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी और आरोपियों के मन में डर पैदा होगा. हालाँकि, इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है. क्योंकि, मुंबई के भांडुप के एक स्कूल में एक बार फिर लड़कियों से बदसलूकी हुई है.

भांडुप के एक नामी स्कूल में 10-11 साल की 3 छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. ऐसी चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं कि स्कूल के लिफ्ट मैकेनिक ने लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया. इस मामले में माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी लिफ्ट मैकेनिक के खिलाफ ढडउरड अ३ के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. खबर है कि अभिभावकों के दबाव के बाद स्कूल ने लिफ्ट मैकेनिक के खिलाफ कार्रवाई भी की. लिफ्ट मैकेनिक पर स्कूल में 10 से 11 साल की तीन नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने टीचर से इसकी शिकायत की.

यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्कूल है. इस स्कूल में तीन लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है. बताया जा रहा है कि यह घटना 27 नवंबर की है. लड़कियां सुबह 10 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक स्कूल में थीं. वह योग कर रही थी.

संपादकीय...

ईवीएम का भूत

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

महाराष्ट्र चुनाव में करारी पराजय के बाद कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों ने चीखना शुरू कर दिया है-ईवीएम में भूत है, जो भाजपा को ही वोट भेजता है।ह्न अब विपक्षी राग इतना उग्र हो चुका है कि राहुल गांधी की ह्यबैलेट पेपर यात्राह्न की खबर सुर्खियों में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने भी कहा है कि बैलेट पेपर की वापसी के लिए हमें अब आंदोलन करना चाहिए। यह कांग्रेस की संवैधानिक इच्छा है कि वह ह्यईवीएम बनाम बैलेट पेपरह्न का जनांदोलन शुरू करे, लेकिन भारत के चुनाव आयोग को यूं ही नहीं कोसा जा सकता। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान लागू होने से पूर्व ही कर दी गई थी। संविधान और लोकतंत्र की गरिमा और सफलता तभी है, जब देश में स्वतंत्र, निर्भीक, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव हों। संविधान सभा में चुनाव आयोग के प्रारूप पर लंबी बहसें हुई थीं। उन्हीं के बाद संविधान में चुनाव आयोग तथा चुनाव प्रक्रिया से संबंधित 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। उनमें बुनियादी अनुच्छेद 324 भी शामिल था। अब इन तर्कों के कोई भी मायने नहीं रहे कि कांग्रेस जब किसी राज्य में अथवा लोकसभा चुनाव में 100 सीटें जीतती है, तो ईवीएम का भूत ह्यकांग्रेसमयह्न हो जाता है। जब हरियाणा और महाराष्ट्र सरीखे महत्वपूर्ण चुनाव हारती है, तो फिर ह्यभाजपा का भूतह्न चिल्लाने लगती है। हालांकि झामुमो-कांग्रेस गठबंधन ने झारखंड का चुनाव जीता है और वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ भी ग्रहण कर चुके हैं। कांग्रेस के ईवीएम पूर्वाग्रह और भूतैले आरोपों पर सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ईवीएम को दोषमुक्त मानते हुए ह्यहरी झंडीह्न भी दे चुकी है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग कांग्रेस समेत विपक्ष को आश्वस्त कैसे करे कि ईवीएम में कोई भूत नहीं है, उसे हैक नहीं किया जा सकता अथवा ईवीएम में विसंगतियां नगण्य हैं? अब कांग्रेस ईवीएम के बजाय ह्यबैलेट पेपरह्न से मतदान कराने पर अड़ी है। चुनाव-प्रक्रिया के ह्यपाषाण-कालह्न में लौटने की जिद की जा रही है। बैलेट पेपर से मतदान वाले दिन और दौर हमने भी देखे हैं। कब, कितने बूथ लूट लिए गए अथवा अवैध मतदान किया गया, अवैध बूथ छाप दिए गए या मतदान से पहले ही ह्यबैलेट पेपरह्न लीक हो गए और घरों पर बैठ कर उन पर मुहर लगा दी गई? ऐसे असंख्य दृश्य बिहार, उप्र, पश्चिम बंगाल चुनावों के हमें आज भी याद हैं और कौंधते रहते हैं। कांग्रेस ने अधिकतर चुनाव बैलेट युग में ही जीते हैं। क्या अब देश को भी पाषाण-काल में लौट जाना चाहिए? ईवीएम 2004 से भारत में लागू है। तब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। अगला 2009 का आम चुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में रहा था, हालांकि किसी भी पक्ष को बहुमत हासिल नहीं हुआ था।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 99877 75650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई : कस्टोडियल डेथ के मामले में पुलिस अधिकारी 30 साल बाद निर्दोष बरी...

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कस्टोडियल डेथ के मामले में पुलिस अधिकारी सिद्दप्पा काशीराय सावली को 30 साल बाद निर्दोष बरी कर दिया। अदालत ने उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट के 2002 के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि बिना किसी प्रथम दृष्टया समर्थन सामग्री के याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। 1993 में तलोजा पुलिस की हिरासत में चोरी के एक संदिग्ध आरोपी की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस अधिकारी सावली को जिम्मेदार ठहराया गया था। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ के समक्ष पुलिस अधिकारी सिद्दप्पा काशीराय सावली की ओर से वकील निरंजन मुंदरगी और केरल मेहता की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने और उसे (याचिकाकर्ता) को कस्टोडियल डेथ के मामले में बरी करने का अनुरोध किया गया। पीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बरी करने की याचिका को खारिज करते हुए कोई कारण नहीं बताए। आपराधिक कानून में कोई प्रतिनिधि दायित्व नहीं है और इसलिए मामले के तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है। जबकि ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य था कि वह प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर विचार करे और यह पता लगाए कि क्या यह याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा बनाए गए मामले के अनुरूप है। क्या है पूरा मामला याचिकाकर्ता तलोजा पुलिस स्टेशन में पुलिस उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। 19 सितंबर 1993 को पनवेल के टोंडारे गांव निवासी भाऊ राम पाटिल ने तलोजा पुलिस स्टेशन में अपने घर में सोने के गहने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक सिद्दप्पा काशीराय सावली को सौंपी गई थी। सावली के नेतृत्व में चार पुलिसकर्मियों ने इस मामले में तीन संदिग्धों को पकड़ा था। उसमें से एक संदिग्ध आरोपी पांडुरंग धर्म पाटिल ने पुलिस स्टेशन के शौचालय में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। आरोपी के घर वालों ने पुलिस की मारपीट से परेशान होकर पाटिल के आत्महत्या करने की बात कही। तलोजा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक सावली समेत 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कस्टोडियल डेथ का मामला दर्ज किया गया था।

पुणे पुलिस ने शहर में ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज किए गए

पुणे : पुणे पुलिस ने बताया कि शहर में ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज किए गए। शहर में ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज किए गए बाणेर के एक 28 वर्षीय युवक को पार्सल धोखाधड़ी के मामले में ₹10 लाख का चूना लगाया गया और 27 नवंबर को मामला दर्ज किया गया। इसी तरह की कार्यप्रणाली में, हडपसर निवासी को ₹6.40 लाख का चूना लगाया गया। MIT के विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले कार्यक्रम के साथ अत्याधुनिक अकसमाधान बनाएँ अभी शुरू करें पहले मामले में, पीड़ित को स्काइप आईडी से एक कॉल आया, जहाँ कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और कहा कि उन्होंने उसके नाम पर मुंबई-ईरान कूरियर पैकेज को ट्रैक किया है, जिसमें पाँच एक्सपायर्ड पासपोर्ट, पेन ड्राइव, लैपटॉप और तीन बैंक क्रेडिट कार्ड थे। फिर कॉल करने वाले ने उससे अपने बैंक क्रेडेंशियल्स को सत्यापित करने के लिए कहा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसके पैसे ठग लिए।

दूसरे मामले में, हडपसर पुलिस ने एक अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसने मुंधवा निवासी पीड़ित को खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर फोन किया था। आरोपी ने उससे कहा कि उसके खाते का इस्तेमाल अवैध धन हस्तांतरित करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। बाद में आरोपी ने उससे अलग-अलग खातों में कुल ₹6.48 लाख की रकम ट्रांसफर करवा ली और उसके साथ धोखाधड़ी की।

पिलियन राइडर्स के हेलमेट न पहनने पर फिलहाल नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई, लोगों को किया जाएगा जागरूक

पुणे : बाइक सवार के साथ सहयात्री को भी हेलमेट पहनने के आदेश के तहत पुणे शहर पुलिस द्वारा अब जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। लोग बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अधिक करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जायेगा। फिलहाल हेलमेट न पहनने पर लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आदेश पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने गुरुवार को दी। उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति की समीक्षा के बाद हम जनवरी से कार्रवाई पर फैसला लेंगे। सड़कों पर दुपहिया वाहन सवार और सह-यात्रियों (पिलियन राइडर्स) के घायल होने और मौतों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस आंकड़े को कम करने के लिए ही यह आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में कार्रवाई करने का आदेश राज्य के परिवहन विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्त और अधीक्षक को दिया है।

आदेश में सह-यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 'स्वतंत्र हेड' के तहत 'ई-चालान' मशीनों में बदलाव के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन, बाइक सवार के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने के फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी के मद्देनजर शहर पुलिस ने जनभावना को ध्यान में रखते हुए फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का रुख अपनाया है। विधायक हेमंत रासने ने इस मुद्दे को लेकर पुलिस आयुक्त से गुरुवार को मुलाकात भी की। पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए हम इस बात पर जोर देते हैं कि नागरिकों को हेलमेट का उपयोग करना चाहिए।

मुंबई क्राइम ब्रांच ने महिला को किया गिरफ्तार; 50 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज

मुंबई : क्राइम ब्रांच ने 38 साल की एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ चोरी करने के 50 से ज्यादा मामले दर्ज है. पुलिस ने गिरफ्तार महिला का नाम वनिता उर्फ आशा गायकवाड बताया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस मामले में वनिता को गिरफ्तार किया गया है वह मामला नवी मुंबई के वाशी पुलिस स्टेशन का है, जहां पर 59 साल के झाकिर म्हदे ने शिकायत कर पुलिस को बताया कि 24 तारीख को एक महिला ने सीधे तौर पर उन्हें अप्रोच किया था और कहा था कि वह गरीब है और काम की तलाश में है.

इसके बाद झाकिर ने उसे अपने घर में नौकरानी का काम दिया और वनिता अपनी आदत से मजबूर दूसरे ही दिन यानी की 25 तारीख को झाकिर के घर में से करीब 3.5 लाख रुपये का सोना और कैश लेकर फरार हो गई.

महिला को ट्रैप लगाकर पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही झाकिर ने इस चोरी की शिकायत वाशी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ बीएस की धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी. मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 के अधिकारी ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल अर बल्लाल

को गुप्त जानकारी मिली कि वनिता उर्फ आशा गायकवाड नाम की महिला मुंबई के माहौल गांव में स्थित एक मारा कॉलोनी में रह रही है जिस पर चोरी के कई सारे मामले दर्ज हैं. इसकी जानकारी मिलते ही बलाल ने ये बात वरिष्ठों को दी और फिर मुंबई क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाकर वनिता को हिरासत में ले लिया.

इस महिला के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में 12 मामले दर्ज हैं. खार पुलिस स्टेशन में 9 मामले, बांद्रा पुलिस स्टेशन में 5 मामले, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में 4 मामले, वसोर्वा पुलिस स्टेशन में 3 मामले, अंबोली, ओशिवारा और ताड़देव पुलिस स्टेशन में 2 मामले और मरीन ड्राइव, ट्रॉम्बे, भायखला, चेंबूर पुलिस स्टेशन में 1-1 मामले दर्ज हैं.

इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि यह महिला बड़ी शातिर है और बीते एक दशक से इसी तरह की चोरी को अंजाम देती आ रही है. महिला पहले किसी बड़ी इमारत को निशाना बनाती है, निशाना बनाने के बाद अंदर जाने का रास्ता ढूंढती है जिसके लिए वह बिल्डिंग के वॉचमैन से दोस्ती करती है और वॉचमैन को अपना गरीबी की दास्तान सुनाती है और कहती है कि उसका परिवार बड़ी मुसीबत में है. काम की तलाश का बहाना देकर वह घर में झाड़ू बर्तन काम ढूंढती है जिस वजह से दूसरी महिलाएं इससे कम पैसे में काम करवाने को तैयार हो जाती.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि फ्लैट में रहने वाले लोगों को अगर हाउस हेल्प की जरूरत होती तो वह अपनी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से इस बात की जानकारी साझा करते हैं और पूछते हैं कि उनकी नजर में कोई महिला है जो घर के काम कर सकती है. ऐसे में ये महिला बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर काम मांगने की बात कहती. ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड इसे किसी घर में काम दिला देता तो महिला अपना असली रंग दिखाती. महिला उस घर में एक से दो दिन तक बड़ी ईमानदारी से काम करती है और फिर मौका मिलता ही घर से कीमती सामान लेकर फरार हो जाती है.

मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी की जारी...

मुंबई के कई रास्ते शनिवार को रहेंगे बंद

मुंबई : पॉप स्टार दुआ लीपा का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन दिनों वह अपने कॉन्सर्ट को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पहले भारत के म्यूजिक कॉन्सर्ट का ऐलान किया। इंटरनेशनल स्टार दुआ का पहला कॉन्सर्ट मुंबई में 30 नवंबर यानी शनिवार को होना है। उनकी परफॉर्मेंस को लेकर फैंस के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस बीच, उनके कॉन्सर्ट से जुड़ी ट्रैफिक गाइडलाइन मुंबई पुलिस ने जारी की है।

दुआ लीपा अपने मोस्ट अवेटेड कॉन्सर्ट के लिए गुरुवार को ही मुंबई पहुंच चुकी हैं। वहीं, मुंबई पुलिस ने उनके कॉन्सर्ट के लिए बड़े स्तर पर सड़कों को बंद किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको शनिवार के दिन असुविधा न हो तो पहले ही बंद सड़कों का रूट चेक कर लीजिए।

मुंबई पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, शनिवार दोपहर से लेकर आधी रात तक शहर के कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। जिसमें भारत नगर जंक्शन से कुर्ला की तरफ जाने वाला संत ज्ञानेश्वर मार्ग शामिल है। इसके अलावा, बांद्रा में खेरवाड़ी सरकारी कॉलोनी से यूटीआई टावर्स की ओर जाने वाला रास्ता भी शामिल है। शनिवार के दिन किसी भी वाहन को भारत नगर जंक्शन से कुर्ला की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल वाहन चालक कर सकते हैं। कुर्ला की ओर जाने के लिए यात्रा करने वाले यात्री एमसीए, एमटीएनएल जंक्शन की ओर जाने वाली सड़क का उपयोग कर सकते हैं।

मुंबई पुलिस ने विदेशी महिला को नशे की खेप के साथ किया गिरफ्तार

मुंबई : पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक विदेशी महिला को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया. मुंबई पुलिस के मुताबिक, ड्रग्स के साथ पकड़ी गई महिला से पूछताछ की जा रही है. यह जानकारी मुंबई पुलिस ने साझा की. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने पीटीआई को जानकारी देते हुए बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 34 वर्षीय नाइजीरियाई महिला को 70 लाख रुपये के मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी महिला का नाम इम्मा स्टेला है.

सोनू सूद ने कार हादसे में गई युवक की मौत पर दुख जाहिर किया

मुंबई : सोनू सूद ने मुंबई में कार हादसे में गई युवक की मौत पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह के हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को बचाने का तरीका भी बताया है. साथ ही उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर शोक में डूबे परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं.

सोनू सूद हमेशा ही लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं. अपने फैंस के साथ भी खासतौर पर जुड़े रहते हैं. अब एक्टर ने मुंबई में हो रहे कार हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के हित में भी बात की है. साथ ही ऐसे एक्सीडेंट रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों की जरूरत पर भी उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है. सोनू सूद ने अपने अकाउंट एक्स पर हाल ही में कार हादसे में जान गंवाने वाले युवक पर दुख जाहिर किया है. साथ ही उन्होंने वॉटर फिल्ड रोड क्रैश बैरियर की फोटो का यूज करते हुए लिखा, 'मुझे मुंबई में रोड डिवाइडर से टकराने वाले युवक की मौत का दुख है. अगर हमारे देश में हर रोड डिवाइडर पर इस तरह के पानी से भरे रोड क्रैश बैरियर लगाए जाएं, तो हम लाखों जानें बचा सकते हैं. बल्कि इसे हमेशा रोड कॉन्ट्रैक्ट में रखे जाना जरूरी होना चाहिए. जय हिंद.'

मुंबई: 70 वर्षीय अमृतलाल क्रांतिलाल पटेल की रहस्यमयी मौत के 3 साल बाद हत्या का मामला दर्ज

मुंबई : आजाद मैदान पुलिस ने 2021 में 70 वर्षीय अमृतलाल क्रांतिलाल पटेल की रहस्यमयी मौत के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया है। सत्र न्यायालय के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पटेल की बहन ज्योत्सनाबेन पटेल द्वारा गड़बड़ी का आरोप लगाने और कानूनी हस्तक्षेप की मांग करने के बाद मामला दर्ज किया गया था। गुजरात के नवसारी निवासी पटेल को 16 अप्रैल, 2021 को तबीयत बिगड़ने के कारण बॉम्बे अस्पताल लाया गया था, लेकिन भर्ती होने से

पहले ही उनकी मौत हो गई।

उस समय, पुलिस ने मामले को आकस्मिक मृत्यु के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसमें शव परीक्षण में प्राकृतिक कारणों की पुष्टि हुई थी। इसके बाद जांच बंद कर दी गई थी। हालांकि, ज्योत्सनाबेन ने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या की गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद, उन्होंने सत्र न्यायालय का रुख किया, जिसने पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करने और आगे की जांच करने का निर्देश दिया। 25 नवंबर को आजाद मैदान पुलिस ने पटेल की पत्नी हेमलता पटेल और उनके घरेलू सहायक दीपक झा पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया। अधिकारियों के अनुसार, हेमलता और दीपक दोनों मुंबई की यात्रा के दौरान पटेल के साथ मौजूद थे।

मुंबई पुलिस के साइबर विंग ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामलों में पीड़ितों के 1.31 करोड़ रुपये वापस कराए...

मुंबई : पुलिस के साइबर विंग ने दो अलग-अलग ऑनलाइन धोखाधड़ी मामलों में पीड़ितों के 1.31 करोड़ रुपये वापस कराए हैं. ठगों ने एक मामले में फर्जी प्रोफाइल बनाकर कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को 85 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए कहा था, जबकि दूसरे मामले में 46 लाख रुपये की ठगी की गई थी. दोनों मामलों में रकम ब्लॉक कर ली गई, जिससे पीड़ितों को बड़ी राहत मिली.

मुंबई पुलिस की साइबर विंग ने दो अलग-अलग ऑनलाइन धोखाधड़ी मामलों में कुल 1.31 करोड़ रुपये की रिकवरी की है. पहला मामला मुंबई के मरीन लाइन्स स्थित एक प्राइवेट कंपनी के फाइनेंस मैनेजर से जुड़ा है, जिसे जालसाजों ने कंपनी के मालिक का नकली प्रोफाइल बनाकर ठगा. जिसमें 85 लाख की रिकवरी की गई. एक और पीड़ित से ठगे गए 46 लाख रुपये भी वापस किए गए.

एजेंसी के अनुसार, दक्षिण मुंबई की मरीन लाइंस में स्थित एक प्राइवेट कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को मंगलवार को ठगों ने निशाना बनाया. अपराधियों ने कंपनी के मालिक की फर्जी प्रोफाइल बनाकर उनसे संपर्क किया और 85 लाख रुपये एक खास बैंक खाते में जमा कराने को कहा.

फाइनेंस मैनेजर ने पहली बार में ही पैसे भेज दिए, लेकिन बाद में उन्हें कुछ संदेह हुआ. संशय होने पर उन्होंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस ने बिना देरी किए बैंक अधिकारियों से संपर्क किया और 85 लाख रुपये की रकम को सफलतापूर्वक ब्लॉक कर दिया.

साइबर पुलिस ने एक अन्य मामले में 46 लाख रुपये की रकम भी वापस कराई है. इस मामले में ठगों ने पीड़ित से बड़ी रकम ऐंठ ली थी. हालांकि, पीड़ित की सतर्कता और समय पर की गई शिकायत के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की.

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बैंक अधिकारियों के सहयोग और साइबर विंग की सतर्कता के चलते यह सफलता मिली. ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तत्काल एक्शन बेहद जरूरी है. साइबर हेल्पलाइन 1930 और बैंकिंग सिस्टम के तालमेल से हमने यह रकम पीड़ितों को वापस दिलाई है.

57 वर्षीय अंबोली निवासी ने 'बीमा' धोखाधड़ी में 1.59 करोड़ रुपये गंवाए

मुंबई : मुंबई साइबर जालसाजों ने 57 वर्षीय अंबोली निवासी को 1.59 करोड़ रुपये का चूना लगाया। जालसाजों ने उनसे पैसे छीनने के लिए दबाव डाला और दावा किया कि भुगतान न करने पर उन्हें 3 करोड़ रुपये की बीमा राशि खोनी पड़ेगी। पुलिस ने बताया कि जुलाई 2022 में अंबोली निवासी को एक अज्ञात व्यक्ति से व्हाट्सएप संदेश मिला था, जिसका नाम राजीव शर्मा था। उसने खुद को 'वित्त विभाग' का अधिकारी बताया था। शर्मा ने उसे बताया कि उसकी बीमा पॉलिसी समाप्त होने वाली है और अगर वह 'प्रीमियम' और 'जुमार्ना' नहीं चुकाता है तो उसे 3 करोड़ रुपये का बीमा भुगतान खोना पड़ेगा।57 वर्षीय व्यक्ति ने 'बीमा' धोखाधड़ी में 1.59 करोड़ रुपये गंवाए शिकायतकर्ता द्वारा कथित प्रीमियम और जुमार्ना चुकाने के बाद, आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसकी बैंक पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड और पिन की एक प्रति साझा करने के लिए कहा।

आरक्षित जमीन पर बनी 41 अवैध इमारतों पर बुल्डोजर ; 7 इमारतों को पहले दिन ध्वस्त किया

नालासोपारा : एक अदद आशियान बनाने में अक्सर लोगों की उम्र निकल जाती है, लेकिन जब उसी आशियाने को आंखों के सामने उजाड़ा जाए, तो उस घर बनाने वाले के दिल पर क्या गुजरती है, ये वही बता सकता है। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला नालासोपारा पूर्व अग्रवाल नगरी में। नालासोपारा पूर्व अग्रवाल नगरी में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट की आरक्षित जमीन पर बनी 41 अवैध इमारतों पर गुरुवार की सुबह मनपा का बुल्डोजर चल पड़ा। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई। पहले दिन सात इमारतों को ध्वस्त किया गया है। इस

दौरान मनपा के 50 से अधिक अधिकारी समेत अन्य अमला मौजूद था।

कार्रवाई के दौरान कुछ लोग अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस बल और सुरक्षा गार्ड ने उन्हें घरों से बाहर निकाला। इस दौरान लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के सामने वे लाचार और बेबस नजर आए। रोते-बिलखते अपना सामान बटोरते हुए लोग घरों से निकले और अपनी आखों के सामने अपने आशियाने को जमींदोज होते हुए देखा। पहले दिन की कार्रवाई में लगभग 50 से अधिक परिवार बेघर हुए है।

बता दें कि नालासोपारा पूर्व अग्रवाल नगरी में लगभग 30 एकड़ जमीन डंपिंग ग्राउंड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए आरक्षित थी। 2006 से पहले इस जमीन पर 41 अवैध इमारतें बनाई गईं, जहां अभी करीब तीन हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेडे की याचिका पर मुंबई पुलिस से जाति उत्पीड़न मामले की जांच का ब्योरा मांगा

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज जाति उत्पीड़न (अट्रॉसिटी) केस की जांच का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने गुरुवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेडे की याचिका पर पुलिस से यह जानकारी मांगी है। मामले की जांच को लेकर पुलिस की निष्क्रियता से नाराज वानखेडे ने ऐडवोकेट सना खान के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई है।

वानखेडे वर्तमान में कर सेवा महानिदेशालय में अडिशनल कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं। वानखेडे ने अगस्त 2022 में

एनसीपी (अब अजित गुट) नेता मलिक के खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत एससी और एसटी ऐक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज कराई गई थी।

पुलिस को कोर्ट में बुलाया

गुरुवार को जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस पी. के चव्हाण की बेंच ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन के संबंधित पुलिस अधिकारी को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए पुलिस अधिकारी को केस डायरी के साथ हाजिर रहने को कहा है, ताकि वे जांच से जुड़ा विवरण पेश कर सके। दो हफ्ते बाद केस की अगली सुनवाई रखी गई है।

याचिका में वानखेडे ने कहा है कि इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता के चलते उन्हें और उनके परिवार को काफी मानसिक परेशानी और अपमान का सामना करना पड़ा है। वानखेडे ने शिकायत में आरोप लगाया है कि मलिक ने इंटरव्यू के दौरान और अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन पर और उनके परिवार पर जाति के आधार पर अपमानजनक और मानहानिपूर्ण टिप्पणी की थी। याचिका के अनुसार, इस मामले में अब तक मलिक को न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही आज तक कोई चार्जशीट दायर की गई है। याचिका में वानखेडे ने दावा किया है कि पुलिस ने अब तक मामले की कोई जांच नहीं की है, इसलिए केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। जांच को लेकर पुलिस की सुस्ती को देखते हुए वानखेडे ने कोर्ट की निगरानी में तहकीकात की मांग की है।

पुणे : मैच के दौरान एक 35 वर्षीय क्रिकेटर की मौत

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे से एक बेहद दुखद खबर आई है. यहां मैच के दौरान एक 35 वर्षीय क्रिकेटर की मौत हो गई. सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद वह पिच पर गिर गया. उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दियो डॉक्टरों ने बताया कि इमरान पटेल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है.

इमरान सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे थे. यह मैच गरवारे स्टेडियम में खेला जा रहा थो बाद में अंपायर ने बताया कि पटेल ने गर्दन, हाथ और सीने में दर्द की शिकायत की थी. उन्होंने कहा कि उन्हें मैदान से बाहर जाकर दवा लेनी पड़ेगी. अंपायर ने उन्हें ध्यान रखने को कहा और फिर वह बाहर जाने लगे. हालांकि, वह बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच पाए और बेहोश हो गए. लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गयो.

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com